न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 184/2021 जिला–नागौर

श्यामलाल पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ग्राम लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी दिनांक 10–6–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 87/2020

––––

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 14–09–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी ने तहसीलदार, रियांबड़ी की अनुशंषा के आधार पर खसरा नम्बर 1138 जिसके नये नम्बर 2042/1138 जिसमें राजकीय प्रयोजनार्थ रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसमें दिनांक 7–1–2021 को संशोधित आदेश जारी कर सड़क की चौड़ाई 8 मीटर के स्थान पर 5 मीटर करने के आदेश पारित किये तथा ग्रामवासियें की शिकायत पर कि ग्रामीण 3 मीटर सड़क पर अतिक्रमण कर लेंगे जिससे गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होंगी इसलिए पूर्व के आदेश दिनांक 3–9–2020 को यथावत रखने हेतु दिनांक 10–6–2021 को आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के आदेश दिनांक 10–6–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इस आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 31–8–2021 को हुई । जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद है इसके अलावा कोविड 19 के तहत माननीय उच्चतम न्ययालय ने मियाद के संबंध में जो निर्देश जारी किये है वह आज भी लागू है। फिर भी धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 3–9–2020 के द्वारा ग्राम लाम्पोलाई की अबादी भूमि पर बनी सड़क जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है उसे 8 मीटर करने के आदेश दिये है। उक्त आदेश में जो सड़क 8 मीटर चौड़ी की गई है उससे अपीलार्थी प्रभावित है तथा अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सड़क पुनः 5 मीटर किये जाने का अनुरोध किया था

जिसे उपखण्ड अधिकारी ने स्वीकार कर दिनांक 7–1–2021 को संशोधित आदेश जारी किया था परन्तु दिनांक 10–6–2021 को जो आदेश पारित किया गया वह अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया गया। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपलार्थी प्रभावित पक्षकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी ने सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से 8 मीटर चौड़ी करने के आदेश जनसुविधा को ध्यान में रखकर पुनः मौका देखकर ही पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी का धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी के पटवारी हल्का ने दिनांक 19–8–2020 को तहसीलदार रियांबडी को प्रस्ताव भेजा कि ग्राम लाम्पोलाई के खसरा नम्बर 1138 रकबा 3.57 हैक्टर किस्म गै0मु0 अंगोर व बाड़ा में स्थित 132 मीटर व 8 मीटर चौडा रास्ता लम्बे समय से स्थाई रूप से विद्यमान है एवं रास्ता चालू है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में आ रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 187, 354, 369 के अन्तर्गत जमाबंदी व मौका अनुसार रास्ता चिन्हित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी ने खसरा नम्बर 1138 जिसके नये नम्बर 2042/1138 में राजकीय प्रयोजनार्थ रास्ता दर्ज करने हेतु दिनांक 3–9–2020 को आदेश पारित किया जिसमें सड़क की चौड़ाई 8 मीटर किये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु ग्रामीणों की शिकायत पर दिनांक 7–1–2021 को संशोधित आदेश जारी कर सड़क की चौड़ाई 8 मीटर के स्थान पर 5 मीटर करने के आदेश दिये गये उससे ग्रामीण 3 मीटर सड़क पर अतिक्रमण कर लेंगे तथा गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी इसलिए पूर्व के आदेश दिनांक 3–9–2020 को यथावत रखा जावे। उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी ने पुनः एक आदेश जारी किया जिसमें पूर्व के आदेश दिनांक 3–9–2020 को यथावत रखने के आदेश दिये गये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी ने दिनंक 3–9–2020 व 10–6–2021 का आदेश पारित करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों अर्थात विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही आदेश पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किये है। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने ग्रामीणो अथवा अन्य प्रभावित

पक्षकारेां को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 133 व 136 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन कटाणी रास्तों का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में करने के निर्देश है जो एक क्षेत्र से मुख्य रास्ते को जोड़ते है या एक गांव से दूसरे गांव के रास्ते को जोडते है। ऐसा कटाणी रास्ता मौके पर चालू होने पर ही उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित कये है वह तो आबादी क्षेत्र में स्थित है ऐसे रास्ते का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किये जाने के लिए प्रारम्भ में हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रियांबडी व उपखण्ड अधिकारी रियांबडी को जो प्रस्ताव भेजा उसे स्वीकार करते हुए दिनांक 3–9–2020 को खसरा नम्बर 1138 हाल नम्बर 2042/1138 में 132X8 मीटर रोड का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में करने के जो आदेश दिये है वह प्रारम्भ से शून्य व निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत सड़क आबादी क्षेत्र में है और पूर्व में ही यह सड़क कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी के अधीन थी और मौके पर उन्होंने ही सड़क निर्माण कराया था तथा भविष्य में उसकी देखरेख की तत्समय उक्त सड़क की चौड़ाई 5 मीटर ही थी इसके पश्चात कृषि उपज मंडी समिति ने उक्त सडक को पी.डब्लयू.डी को हेण्डओवर कर दिया उसके पश्चात उक्त सड़क का रख रखाव पी.डब्लयू.डी द्वारा किया गया और पुनः जो सड़क का निर्माण किया गया वह पी.डब्लयू.डी द्वारा ही किया गया। पीडब्लयूडी ने भी उक्त सड़क की चौड़ाई 5 मीटर ही रखी। मुख्य सड़क के आस–पास की चौड़ाई 3.75 मीटर रखी। राजस्थान विधान सभा ने भी सडको की चौडाई के बारे में दिशा निर्देश का बिल पास किया है जिसमें नेश्नल हाईवे, स्टेट हाईवे, शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों, आबादी क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई के मापदण्ड निर्धारित किये है। उक्त निर्देशों के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आबादी की सड़क की चौड़ाई 5 मीटर ही रखने के प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनाक 5–1–2021 को पुनः मौका देखा गया शिकायत अनुसार पाया गया है कि उक्त रीति में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मौका निरीक्षण अनुसार यह सार्वजनिक रास्ता की चौड़ाई 8 मीटर के स्थान पर 5 मीटर किया जाना उचित है। अतः इस रास्ते की चौड़ाई 132X5 मीटर मौका नक्शा अनुसार किया जाकर दाखिल दफ्तर है। इस प्रकार दिनांक 7–1–2021 को जो संशोधित आदेश पारित किया गया था वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तथा उपखण्ड अधिकारी रियांबडी द्वारा मौके की स्थिति तथा ग्रामीणों से वार्ता के दौरान लिया है। इस आदेश को बिना ग्रामीणों को सुने तथा मौके की स्थिति को जो कि स्वयं उपखण्ड अधिकारी ने तैयार की थी, को दरकिनार कर केवल मात्र एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त दिनांक 7–1–2021 के आदेश को संशोधित कर पूर्व आदेश दिनांक 3–9–2020 को यथावत रखना किसी भी स्थिति में उचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी व उनके परिवार वाले तथा अन्य 18 ग्रामीण की भूमि खसरा नम्बर 929 में स्थित है जो रास्ते से टच करती हुई है। इस

भूमि में अपीलार्थी व अन्य ग्रामीणों के एक ही लाईन में मकान बने हुए है तथा पीछे उनके खेत है। खसरा नम्बर 1138 जिसके हाल नक्तर 2042/1138 है जिसमें मुख्य सड़क निर्माण निर्मित है मुख्य सड़क से अड़ते हुए अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए है। जो खातेदारी भूमि में स्थित है। उक्त सड़क की चौड़ाई 8 मीटर करने से अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों के मकान टूटेंगे जबकि उक्त मकान खातेदारी भूमि पर बने हुए है। इसलिए शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने राजनैतिक द्वेषता के चलते अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियें को हानि पहुंचाने के लिए तहसीलदार व पटवारी से मिलीभगत करके 8 मीटर चौड़ी सड़क किये जाने का षडयंत्र किया है। जबकि मौके पर 5 मीटर चौड़ी सड़क ही है। जिसे उपखण्ड अधिकारी रियांबडी ने स्वयं मौका देखने के पश्चात दिनांक 7–1–2021 को आदेश पारित कर 5 मीटर चौड़ाई करने का आदेश दिया है। अपीलार्थी व अन्य खातेदारान की भूमि पर बने मकानात को यदि सड़क में मिलाया जाता है तो 3 मीटर की खातेदारी भूमि अवाप्त करने के लिए विधिवत रूप से भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्ति की कार्यवाही कर अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों को मुआवजा देने के पश्चात ही उक्त भूमि सड़क के लिए दी जा सकती है। सड़क की चौड़ाई खातेदारी भूमि व गैर मुमकिन अंगोर की भूमि जो सड़क के दूसरी तरफ स्थित है उसमें बारीश का पानी भरता है तथा गांव के मवेशी उसमें पानी पीते है। गैर मुमकिन अंगोर की भूमि पर यदि सड़क चौडी की जाती है तो इससे पशुओं के पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अंगोर भूमि अर्थात केचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के निर्माण या अन्य कार्य किये जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–2020 व 10–6–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2021 विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही पारित किया गया है जो कि आम जनता के हित के लिए आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी ने स्वयं मौका देखने के पश्चात ही ग्रामवासियों के हितो को दृष्टिगत रखते हुए सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से 8 मीटर करने के आदेश पारित किये है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है एवं लोगों एवं वाहनों का आवागमन हो रहा है। भविष्य में आवागमन एवं वाहनों की बढ़ती संख्या एवं आबादी को देखते हुए तथा सड़क के किनारे अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जावे को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से 8 मीटर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है जो उचित है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया

जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 एवं सपठित राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86, 187, 354, 369 अन्तर्गत रास्ता चिन्हित कर ग्राम लाम्पोलाई की भूमि खसरा नम्बर 1138 रकबा 3.57 हैक्टर किस्म गै.मु.अंगौर व बाड़ा है जिसमें 132 मीटर लम्बी व 8 मीटर चौड़ी सड़क जिसका रास्ता मौके पर चालू है पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19–8–2020 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी को प्रस्तावित कदीमी गै.मु रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त आधार पर उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। रास्ता मौके पर चालू है एवं लोगों एवं वाहनों का आवागमन हो रहा है इस कारण प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होने से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 17–12–2020 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम लाम्पोलाई में खसरा नम्बर 1138 में सार्वजनिक रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। उसमें रास्ते की चौड़ई 8 मीटर मौका नक्शा अनुसार प्रस्तुत की है उसकी चौडाई कहीं कम है और कहीं ज्यादा है जिससे भविष्य में आवागमन एवं सड़क निर्माण में समस्या आ सकती है जिसका समाधान हेतु सड़क की चौडाई में संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त आधार पर प्रकरण में मौका देखकर सार्वजनिक रास्ता की चौड़ाई 8 मीटर के स्थान पर 5 मीटर किये जाने के आदेश दिनांक 7–1–2021 को पारित कर दिये। तत्पश्चात दिनांक 12–4–2021 को श्री सुशील कुमार पुत्र नारायण राम ग्राम लाम्पोलाई द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1138 जिसके हाल खसरा नम्बर 2042/1138 में रास्ते की चौड़ई 5 मीटर के स्थान पर 8 मीटर चौड़ाई रखी जावे। यदि उक्त रास्ते की 5 मीटर चौड़ई की गई तो भविष्य में 3 मीटर पर लोग अतिक्रमण कर लेंगे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी द्वारा तहसीलदार, रियांबड़ी से रिपोर्ट ली। तहसीलदार रियांबड़ी ने पटवारी हल्का लाम्पोलाई एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पादूकलां से जांच रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उल्लेखित है कि खसरा नम्बर 1138 रकबा 3.57 हैक्टेयर में से दिनंक 3–9–2020 को 132X8 मीटर राजकीय रास्ता घोषित किया गया जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना की जा चुकी है। रास्ता मौके पर सुविधानुसार चालू है। प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी खातेदार द्वारा सड़क चौड़ी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अपीलार्थी के अभिभाषक ने ऐसा कोई दस्तावेज ही बहस के दौरान प्रस्तुत किया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट एवं ग्राम लाम्पोलाई के सड़क चौडी करने के प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट एवं भविष्य में वाहनों का अत्यधिक आवागमन एवं बढ़ती आबादी एवं जनसुविधा को मध्यनजर रखते हुए एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा

अतिक्रमण न किया जावे को दृष्टिगत रखते हुए सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से 8 मीटर चौड़ी करने के आदेश दिनांक 3–9–2020 को यथावत रखने हेतु दिनांक 10–6–2021 को जो आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–6–2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 87/2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर